MADHYA PRADESH

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/435 भोपाल, दिनांक 23/05/2020

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

विषयः– मध्यप्रदेश राज्य में अन्य राज्य से हवाई मार्ग द्वारा आने वाले यात्रियों हेतु दिशा–निर्देश बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है भारत सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों जो अन्य राज्यों में लॉकडाउन के चलते रूके हुये है उन्हें अपने गृह राज्यों में वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय उपरांत मध्यप्रदेश में हवाई मार्ग से अनेक व्यक्तियों के आगमन की संभावना है। मध्यप्रदेश द्वारा इन यात्रियों का मेडिकल परीक्षण के उपरांत लक्षण अनुरूप भर्ती /आईसोलेशन किया जाना होगा।

अतः इन यात्रियों को संलग्न दिशा–निर्देश अनुसार मेडिकल परीक्षण उपरांत लक्षण अनुरूप आईसोलेशन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न – दिशानिर्देश

(फैज अहमद किदवई)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पृ. क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/436 भोपाल, दिनांक 23/05/2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव,म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

<u>मध्यप्रदेश राज्य में अन्य राज्य से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों हेतु दिशा निर्देश</u>

1. प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों जो अन्य राज्यों में लॉकडाउन के चलते रुके हुए हैं उन्हें अपने गृह राज्यों में वापस भेजने का निर्णय लिया गया है । इस निर्णय से मध्यप्रदेश में हवाई मार्ग से मुख्यतः इंदौर एवं भोपाल एयरपोर्ट पर अनेक व्यक्तियों के आगमन की संभावना है। मध्य प्रदेश द्वारा इन यात्रियों को मेडिकल परीक्षण के उपरांत लक्षण अनुरूप भर्ती /आइसोलेशन किया जाना होगा। भर्ती /आइसोलेशन संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश निम्न अनुसार है ।

2. हवाई यात्रा से आने वाले यात्रियों के संबंध में

प्रदेश में अन्य राज्यों से हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा संबंधित एयरपोर्ट के अराइवल तथा डिपार्चर क्षेत्र में ही चिकित्सकीय जांच एवं स्व-घोषणा पत्र **(व्यक्तिगत विवरण सहित फोन नंबर तथा प्रदेश में स्थाई स्थाई निवास का पता)** प्रस्तुत करना अनिवार्य है और निर्धारित स्वास्थ्य काउंटर पर चिकित्सीय परीक्षण **(थर्मल स्क्रीनिंग)** कराना अनिवार्य होगा।

चिकित्सीय परीक्षण के **(थर्मल स्क्रीनिंग)** दौरान यात्री जिनमें संभावित कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाए और जांच में परिणाम नेगेटिव आने पर ही भेजा जाए । यदि कोविड-19 टेस्ट में यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे यात्री को अनिवार्य रूप से लक्षणों के आधार पर निर्धारित कोविड केयर सेण्टर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेण्टर अथवा संस्थागत आइसोलेशन किया जाना होगा। ऐसी स्थिति में जिले में निर्धारित कोविड केयर सेण्टर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेण्टर अथवा आइसोलेशन सेण्टर में 10 दिवस के लिए भर्ती किया जाए । निर्धारित 10 दिवस की आइसोलेशन अवधि उपरांत रोगी की चिकित्सीय जांच कर विगत 3 दिन पूर्व से लक्षणविहीन पाए जाने पर उनकी आइसोलेशन अवधि समाप्त की जा सकती है परन्तु ऐसी यात्रियों को आगामी 07 दिवस तक होम आइसोलेशन में प्रोटोकाल पालन करते हुए घर पर ही रहने की सलाह देकर भेजा जा सकता है।

जांच अवधि के दौरान यात्रियों को निर्धारित क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए । इन समस्त यात्रियों की सघन निगरानी हेतु इनके मोबाइल फ़ोन में **"आरोग्य सेतु ऍप"** इनस्टॉल कराया जाए जिससे इनकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके।

ऐसे यात्री जो एयरपोर्ट के जिले के निवासी नहीं है अथवा किसी अन्य जिलों में प्रस्थान कर रहे है उन जिलों के कलेक्टर्स को सम्बंधित यात्रियों की सूचना प्रदान की जाए।

द्वारा
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्य प्रदेश